"एक क्रिया सामाजिक दृष्टिकोण से कब अपराध है??

When is Act is a crime from social Point of view?

श्री सदरलैंड (Suderland) के अनुसार "सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध के तीन आवश्यक तत्व हैं (अ) एक मूल्य (value) जो एक समूह अथवा समूह के द्वारा, जो राजनैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, सम्मानित किया हो (ब) इस समूह में एक दूसरे भाग का होना जो कि उस मूल्य के अधिक का कम विरोधी हो और इस कारण उसके लिए घातक सिद्ध हो और (स) एक सुस्पष्ट या उचित दण्ड व्यवस्था का होना जिसे कि उस मूल्य को आदर करने वाले मूल्यों को अनादर करने वालों पर लागू करते हैं।"

प्रोफेसर टेफ्ट—ने सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध के दो पक्षों का उल्लेख किया है जो कि निम्नलिखित है—

(1) वह कौन सा कार्य अपराध है या किन कार्यों से समाज और समूह को हानि पहुँच सकती है। इसका निर्धारण या तो पिछले अनुभवों के आधार पर आधारित रुढ़ियों के द्वारा, या जनता के मतों के आधार पर या उस शक्तिशाली समूह के विचारों के आधार पर, जो कि प्रतिमानों को निश्चित करता है नैतिक नियमों को परिभाषित करता है, इन नियमों को मानने वालों को पदस्थान करता है तथा उन्हें तिरस्कार करता है जो कि इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध वह कार्य है जिसे समाज अपनी स्वीकृति नहीं देता है। समाज द्वारा अस्वीकृत कार्यों को अनैतिक, पाप, अपरम्परागत या अपराधी क्रिया कहा जा सकता है। इसप्रकार की क्रिया करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था समाज अपने ढंग से करता है यद्यपि अदालत, पुलिस, जेलखाना आदि जैसी दण्ड देने की संस्थात्मक व्यवस्था नहीं होती है। समाज के दण्ड देने का तरीका साधु और सरल होता है जैसे समाज व समूह से उसका बहिष्कार करना, उसके साथ सामाजिक सम्बंध को तोड़ देना, उसे उसकी सामाजिक स्थिति से नीचे उतार देना, उसकी खिल्लियाँ उड़ाना या उसे पापी, दुराचारी शब्द कहकर सम्बोधित करना। किसी भी स्थिति में सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध करने वाले व्यक्ति की सामाजिक स्थिति गिर जाती है। इसप्रकार सामाजिक दृष्टिकोण से कार्यों की गंभीरता सामाजिक स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभावों द्वारा निर्धारित होती है।

2. कानूनी दृष्टिकोण से वह व्यक्ति अपराधी है जिसने कि भूतकाल में कोई ऐसा काम किया है जो कि कानून के द्वारा दण्डनीय है। परन्तु सामाजिक दृष्टिकोण से हम समाज के अपराधी व्यक्ति के भविष्य के कार्यों से रक्षा करते

के सम्बंध में अधिक सचेत रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध वह क्रिया है जिससे कि भविष्य में सामाजिक सम्बंध या भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक दृष्टि भूतकाल के व्यवहार के आधार पर उसके भविष्य के सम्भावित कार्यों के सम्बंध में अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रोफेसर टैफ्ट के शब्दों में "सामाजिक दृष्टिकोण से दण्ड का उद्देश्य हिसाब को बराबर करना नहीं, नहीं अपराधी से बदला लेना है, अपितु इस सम्बंध में निश्चित होना है कि वह अपने अपराधों को दोहरायेगा नहीं दण्ड को तभी व्यवहार में लाया जाएगा जबकि पुनरावृत्ति को रोकने का वही एक मात्र रास्ता हो या जब यह रास्ता यों आशा होगी कि दण्ड दूसरे को अपराध करने से रोकेगा।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम उन आधारों का उल्लेख कर सकते हैं जिनके आधार पर एक क्रिया सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध कहलाएगी — (क) सामाजिक दृष्टिकोण से वह कार्य अपराध है जो कि मानव सम्बंधों में विघ्न उत्पन्न करता है। (ख) कौन सा कार्य सामाजिक सम्बंधों के लिए घातक है उनकी दृष्टि समाज अपने स्थापित तथा स्वीकृत मूल्यों के द्वारा करता है। अतः सामाजिक दृष्टिकोण से वह कार्य अपराध है जो कि समाज के स्वीकृत मूल्यों, आदर्शों व भावनाओं के विपरीत है। (1) सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध व्यक्ति का एक ऐसा व्यवहार है जो कि समाज व्यवस्था या एकता के लिए खतरा उत्पन्न करता है जिसके फलस्वरूप स्वयं समाज का अस्तित्व अनिश्चित हो जाने का अन्देशा बना रहता है। (ख) सामाजिक दृष्टिकोण से अपराध वह क्रिया है जिसको करने से समाज के एक महत्वपूर्ण समूह की एक विरोधी प्रतिक्रिया होती है और इसलिए वे ऐसा प्रयत्न करते हैं जिससे कि भविष्य में ऐसे कार्य दोहराये न जायें या कम से कम हो।

(2) सामाजिक तौर पर जिसे अपराधी माना जाता है उसे दण्ड देने की व्यवस्था समाज स्वयं अपने ढंग से करता है और उस व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई न कोई संस्थागत संगठन समाज में अवश्य ही होता है - जैसे भारतवर्ष में पहले पंचायत व्यवस्था थी।

समाप्त